श्री मॉर्वी सार्वजनिक केलावनी मंडल

संचालित एम. एस. के. एम. बी. एड. कॉलेज

बनाम

नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एज्यूकेशन एण्ड अदर्स

(सिविल अपील संख्या 11215 ऑफ 2011)

दिसंबर 16, 2011

[डॉ. बी. एस. चौहान और टी. एस. ठाकुर, जे. जे.]

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993: एस. 17-मान्यता वापस लेना- मान्यता प्रदान की गई - बी.एड पाठ्यक्रम की पेशकश के लिए अपीलकर्ता-संस्था को मान्यता प्रदान की गई। संस्था को उपलब्ध निर्मित क्षेत्र की अपर्याप्तता के आधार पर मान्यता वापस लेना, संरचना के नीचे की भूमि संस्था के नाम पर न होना, संस्थान एक ऐसे भवन में चलाया जा रहा है जिसका उपयोग दो अन्य संस्थानों द्वारा किया जाता था और नियोजित व्याख्याताओं के पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी-आयोजित: निरीक्षण एक से अधिक बार किया गया और कहा गया कि कमियाँ बताई गईं जिससे भावी शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने की इसकी क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई- हालाँकि, कमियाँ विशेष रूप

से बताई गईं थीं अपीलकर्ता-संस्था द्वारा नहीं हटाया गया - इसलिए, मान्यता वापस लेना उचित ठहराया गया - अनुमति के लिए प्रार्थना छात्रों को अपीलार्थी-सत्र 2011-12 के लिए संस्थान में बने रहना है सहानुभूति के आधार पर भी अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि 20 जुलाई 2011 को संस्थान की मान्यता वापस ले ली गई। जिसका अर्थ था कि शैक्षणिक सत्र 2010-11 के लिए इसका प्रवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यह निश्चित रूप से शैक्षणिक सत्र 2011-12 के लिए किए गए सक्रिय प्रवेश थे जो 1 अगस्त, 2011 से शुरू हुआ। शिक्षा / शैक्षणिक संस्थान।

29.5.2007 को 100 विद्यार्थी के प्रवेश के साथ बी. एड की पेशकश के लिए एन. सी. टी. ई. अधिनियम के तहत मान्यता प्रदान की गई।

27.7.2008 पर, एन. सी. टी. ई. ने एक नोटिस जारी किया कि अपीलार्थी कारण बताएगा कि अधिनियम की धारा 17 के संदर्भ में मान्यता वापस क्यों नहीं ली जानी चाहिए। कमियों को नोटिस में इंगित किया गया है जैसे संस्था के लिए उपलब्ध निर्मित क्षेत्र की अपर्याप्तता, संरचना के नीचे की भूमि अपीलार्थी संस्था के नाम पर नहीं होने और कॉलेज एक ऐसी इमारत में चलाया जा रहा है जिसका उपयोग दो अन्य संस्थानों द्वारा किया जाता था। कारण बताओ नोटिस का जवाब समयावधि में दें इस प्रयोजन

के लिए निर्धारित किया गया था चूंकि अपीलकर्ता ने ऐसा नहीं किया, इसलिए एनसीटीई ने मान्यता वापस ले ली। अपीलार्थी ने मान्यता वापस लेने के आदेश को चुनौती देने वाला एक विशेष सिविल आवेदन याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को निर्देश दिया कि वह एन. सी. टी. ई. द्वारा बताई गई कमियों को दूर करें और एन. सी. टी. ई. को नए सिरे से निरीक्षण कर उचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी । उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में, जब अपीलकर्ता ने कहा कि कमियां दूर कर ली गई हैं यह सूचना मिलने के बाद एनसीटीई द्वारा निरीक्षण किया गया था। हालाँकि, एन. सी. टी. ई. ने कई ओर कमियाँ की ओर इशारा करते हुए एक नया नोटिस भेजा। इस बीच अपीलार्थी ने विश्वविद्यालय को छात्रों को आवंटित करने के निर्देश के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय को अपीलार्थी के शैक्षणिक सत्र 2011-12 के छात्र आवंटन करने के लिए निर्देश दिया। इस बीच, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति ने अपीलार्थी को दिया गया मान्यता वापस लेने का आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष मान्यता वापस लेने के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की जो खारिज कर दी गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल अपीलें दायर की गई थी।

याचिकाओं को खारिज करते हुए, अदालत ने एम. एस. के. मंडल संचालित एम. एस. के. बी. एड. कॉलेज बनाम N.C.T.E. और अन्य आयोजित:

1. वर्तमान एक ऐसा मामला है जहाँ अपीलार्थी द्वारा स्थापित संस्था का निरीक्षण एक से अधिक बार किया गया था और कई कमियों की ओर विशेष रूप से इंगित किया गया था जो भविष्य के शिक्षकों को गंभीर रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने की इसकी क्षमता को प्रभावित करता है। अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के तहत निर्धारित अन्य आवश्यकताओं के अलावा, स्थान और कर्मचारियों की अपर्याप्तता एक ऐसी चीज है जो किसी भी संस्थान को मान्यता प्राप्त करने से अयोग्य ठहराती है। ऐसी कमियां विवादित नहीं थी और न ही समय-समय पर निरीक्षण टीमों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आलोक में विवादित हो सकती है, जिसमें नवीनतम निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट भी शामिल है जो उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आयोजित की गई थी। यह समझना कठिन है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद संस्थान ने नियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन और कमियों को पूरी तरह से दूर करने की रिपोर्ट कैसे दी होगी, जबकि संस्थान के पास न तो उसके नाम जमीन थी और न ही वह भवन जिसमें उसने निर्माण किया था और जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर सकता था। यह तथ्य की

संस्थान एक ऐसी इमारत में चलाया जा रहा था जिसे दो अन्य कॉलेजों द्वारा साझा किया गया था, अपने आप में इसके पक्ष में दी गई मान्यता को वापस लेने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त था। निरीक्षण दल द्वारा यह भी नोट किया गया कि अपीलकर्ता द्वारा नियोजित चार व्याख्याताओं के पास अपेक्षित योग्यता एम.एड. नहीं थी। इसलिए संस्थान में आवश्यक ढांचागत सुविधाओं का अभाव था, जो स्पष्ट रूप से इसे पहले दी गई मान्यता को वापस लेने को उचित ठहराता था। (पैरा 11) (565-डी-एच, 566-ए)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट (2011) 13 (ए. डी. डी. एल.) एस सी आर।

2. संस्था की मान्यता 20 जुलाई, 2011 को समाप्त हो गई, जिसका अर्थ है कि शैक्षणिक सत्र 2010-2011 के लिए इसमें प्रवेश के लिए कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन शैक्षणिक सत्र 2011-12 में प्रवेश के लिए निश्चित रूप से यह मान्य थी, जो अगस्त 2011 से शुरू हुआ था। तथ्य यह है कि 24 अगस्त, 2011 को वापसी के उक्त आदेश में संशोधन किया गया था, 20 जुलाई, 2011 के पहले के आदेश को रद्द नहीं किया गया। संशोधित आदेश 20 जुलाई, 2011 से संबंधित होगा और प्रभावी होगा जब मान्यता पहली बार वापस ली गई थी। ऐसी स्थिति में शैक्षणिक सत्र 2011-2012 के

लिए किए गए दाखिले कानून के तहत संरक्षित नहीं थे। दूसरे, छात्रों को केवल सहानुभूतिपूर्ण आधार पर गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों में बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। (पैरा 12 और 13) (566-जी-एच: 567-ए)

चैयरमेन, भारतीय एजुकेशन सोसाइटी और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य (2011) 4 एससीसी 527, 2011 (2) एससीआर 461; एन.एम. नागेश्वरम्मा बनाम् आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (1986) पूरक एससीसी 166; आंध्र केसरी एजुकेशनल सोसाइटी बनाम् स्कूल शिक्षा निदेशक (1989) 1 एससीसी 392, 1988 (3) पूरक एससीआर 893-संदर्भित।

3. अपीलकर्ता द्वारा स्थापित संस्थान एनसीटीई अधिनियम और विनियमों के तहत आवश्यक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित नहीं था। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की स्थिति में नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पडता कि सत्र 2011-2012 के लिए प्रवेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निर्देशों के अनुसार किए गए थे। इसलिए, छात्रों को अपीलकर्ता की गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान में बने रहने की अनुमति देने या उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश देने की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया है। हालांकि, यह आदेश प्रतिवादी-विश्वविद्यालय को उन छात्रों को पुन:

आवंटित करने की व्यवहार्यता की जांच करने से नहीं रोकेगा, जिन्हें चयन और परामर्श की विश्वविद्यालय प्रक्रिया के माध्यम से अन्य मान्यता प्राप्त कॉलेजों में दिया गया था ताकि इस तरह के किसी भी पूर्वाग्रह को रोका जा सके। अगले सत्र के लिए इस तरह का पुर्नआवंटन स्थिति को पूरी तरह से हल कर सकता है, जो छात्रों को नए सिरे से पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए योग्य बना सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि यदि प्रवेश/पुर्नआवंटन वास्तव में संभव है, तो छात्र एक ऐसे कॉलेज में समय बर्बाद करने के बजाए जिसे एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में अपनी पढाई पूरी कर सकते हैं। हालांकि, इस पहलू को पूरी तरह से विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए उचित स्तर पर विचार करने के लिए छोड दिया यगा है और यह इस तरह के समायोजन के लिए सीटों की उपलब्धता के साथ-साथ उन नियमों और शर्तों पर भी निर्भर करता है जिन पर ऐसा किया जा सकता है। यह आदेश प्रभावित छात्रों को अपीलकर्ता कॉलेज के खिलाफ ऐसी राहत मांगने से नहीं रोकेगा जो कानूनी रूप से स्वीकार्य हो, जिसमें उनके वसूल की गई फीस की वापसी के रूप में राहत भी शामिल हो। (पैरा 17) (569-जी-एच: 570-ए-डी)

भगवान बुद्ध प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यायल की प्रबंध समिति और अन्य बनाम् बिहार राज्य और अन्य (1990) पूरक, एससीसी

722; तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम् सेंट जोसेफ शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और अन्य (1991) 3 एससीसी 87: 1991 (2) एससीआर 231- पर भरोसा किया गया। केस कानून संदर्भ:

1992 (3) एससीआर 792 पर भरोसा पैरा 10, 16

2011 (2) एससीआर 461 का हवाला दिया गया पैरा 8, 16

(1986) पूरक एससीसी 166 का हवाला दिया गया पैरा 8, 13

1988 (3) पूरक एससीआर 893 का हवाला दिया गया पैरा 8

(1990) पूरक एससीसी 722 पर भरोसा पैरा 14

1991 (2) एससीआर 231 पर भरोसा पैरा 15

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट (2011) 13 (ए. डी. डी. एल.) एस सी आर।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 11215/2011

विशेष सिविल आवेदन संख्या 9485 वर्ष 2011 में अहमदाबाद स्थित गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.10.2011 साथ सी.ए. नम्बर 11216 वर्ष 2011 का।

के.वी. विश्वनाथन, निखिल गोयल, प्रतीक वाई. जसामी, मार्सूक बफाकी अपीलकर्ता के लिए।

रमेश पी. भट्ट, अमितेश कुमत, रवि कांत, प्रीति कुमार (नवीन प्रकाश के लिए), के.वी. श्रीकुमार, हेमटिका वाही, सत्यब्रुत पांडु, आर. प्राधा उत्तरदाताओं के लिए।

उच्च न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

टी.एस. ठाकुर, जे. 1. छुट्टी स्वीकृत।

2. ये अपीलें अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर, 2011 को पारित एक आदेश से उत्पन्न हुई हैं, जिसके तहत 2011 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 9485 वर्ष 2011 को खारिज कर दिया गया है और दिनांक 20 जुलाई, 2011 के आदेश को 24 अगस्त, 2011 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (संक्षेप में 'एनसीटीई') अधिनियम, 1993 की धारा 17 के तहत पश्चिमी क्षेत्रीय समिति द्वारा जारी किया गया, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा स्थापित बी.एड. कॉलेज की मान्यता वापस ले ली गई।

3.अपीलकर्ता-ट्रस्ट ने श्री मोरवी सार्वजनिक केलावनी मंडल संचालित एसएसकेएम बी.एड. कॉलेज, राजकोट नाम और शैली के तहत एक कॉलेज की स्थापना की है। कॉलेज को बी.एड. की पेशकश के लिए एनसीटीई

अधिनियम की धारा 14 (3) (ए) के तहत 29 मई, 2007 के आदेश के अनुसार 100 छात्रो के वार्षिक प्रवेश के साथ मान्यता का लाभ मिला था। उक्त मान्यता प्रदान करने के तुरंत बाद, एनसीटीई ने अपीलकर्ता को 27 जुलाई, 2008 को एक नोटिस जारी कर यह बताने को कहा कि नोटिस में बताई गई कमियों जैसे संस्थान के लिए उपलब्ध निर्मित क्षेत्र की अपर्याप्तता, संरचना के नीचे की भूमि अपीलकर्ता-ट्रस्ट के नाम पर नहीं है और कॉलेज एक ऐसी इमारत में चलाया जा रहा है जिसका उपयोग दो अन्य संस्थानों द्वारा किया जाता है, के मद्देनजर अधिनियम की धारा 17 के संदर्भ में मान्यता वापस क्यों नहीं ली जानी चाहिए।

4. अंततः 29 नवंबर, 2008 को एनसीटीई द्वारा मान्यता वापस ले ली गई क्योंकि अपीलकर्ता इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अवधि के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने में विफल रहा था। हालांकि, वापसी आदेश को अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-कॉलेज को एनसीटीई द्वारा बताए गए दोषों को दूर करने और संस्थान को नए सिरे से एनसीटीई द्वारा निरीक्षण की पेशकश करने सहित कुछ निर्देश जारी किए थे। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि चालू वर्ष के लिए प्रवेश मान्यता वापस लेने से प्रभावित नहीं होंगे, विनियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, संस्थान को अगले वर्ष के लिए किसी

भी छात्र को प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एनसीटीई को संस्था को नोटिस जारी करने के बाद नए सिरे से निरीक्षण करने और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी गई।

5. उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, अपीलकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 20 दिसंबर, 2010 द्वारा एनसीटीई को सूचित किया कि संबंधित कमियों को दूर कर दिया गया है और एनसीटीई को कॉलेज के नए निरीक्षण के लिए एक टीम नियुक्त करने के लिए आमंत्रित किया। तदनुसार एक निरीक्षण किया गया जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को एक नया नोटिस जारी किया गया और संस्थान को कई कमियों की ओर इशारा किया गया था जिसमें संस्थान में जगह, कर्मचारियों की अपर्याप्तता और यह तथ्य शामिल था कि कॉलेज के पास अपने नाम पर जमीन नहीं थी और संस्थान ऐसे भवन में संचालित था जिसका उपयोग दो अन्य कॉलेजों द्वारा किया जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब भेज दिया है, लेकिन उस पर अंतिम निर्णय लेने से पहले अपीलकर्ता ने विश्वविद्यालय को छात्र आवंटित करने का आदेश देने के लिउ उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष सिविल अपील संख्या 6507 वर्ष 2011 दायर की। अपीलकर्ता-कॉलेज को 14 जून, 2011 के एक आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2011-2012 के लिए छात्रों को अपीलकर्ता-कॉलेज को आवंटित करने का

निर्देश दिया। इस बीच, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति ने 20 जुलाई, 2011 को एक आदेश जारी कर एनसीटीई अधिनियम की धारा 17 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता-कॉलेज को दी गई मान्यता वापस ले ली।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट (2011) 13 (ए. डी. डी. एल.) एस सी आर।

आदेश में उक्त वापसी के लिए नौ अलग-अलग आधार शामिल थे। व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष सिविल आवेदन संख्या 9485/2011 दायर किया, जिसमें यह तर्क दिया कि मान्यता वापस लेना ऐसे आधारों पर था जो संस्था को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से परे थे। यह भी तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय ने 60 छात्रों को कॉलेज में आवंटित किया था जो उसके रोल पर थे और जिनके भविष्य पर वापसी आदेश से प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना थी।

6. जबकि अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका अभी भी लंबित थी, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति ने दौरा करने वाली टीम की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए 24 अगस्त, 2011 को एक संशोधित वापसी आदेश जारी किया जिसमें निम्नलिखित कमियां पाई गई:

(1.) एनसीटीई विनियम 2002 के खंड 7 (डी) के अनुसार आवेदन जमा करने की तिथि पर संस्थान के पास न तो जमीन थी और न ही आज भी उसके पास जमीन है।

(2.) संस्थान बहुमंजिला आवासीय भवन के एक फ्लैट में चल रहा है।

(3.)फ्लैट का पंजीकृत पट्टा विलेख 18.03.2011 को निष्पादित किया गया था, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 31.12.2010 की समय सीमा से परे है।

(4.) नियुक्ति तिथि तक एक भी व्याख्याता योग्य नहीं था।

7. उच्च न्यायालय उपरोक्त आदेश से खुश नहीं था, यह 30 अगस्त, 2011 के एक अंतरिम आदेश से स्पष्ट है, जिसके तहत क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भोपाल को निरीक्षण के लिए एक नई टीम भेजने का निर्देश दिया गया था वह संस्थान और कॉलेज द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे में दोषों और कमियों के संबंध में एक नई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तदनुसार एनसीटीई द्वारा एक निरीक्षण समिति नियुक्त की गई जिसने सीलबंद कवर में उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की। रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा कहा गया है:

'टीम ने बुनियादी ढांचे, संस्थागत सुविधाओं आदि का निरीक्षण किया था, सीडी संलग्न है। विडियोग्राफी लगातार होती रही। भूमि के चारों कोनो और इमारतों के चारों कोनों को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। भूमि, भवन, शैक्षणिक सुविधाओं, स्टाफ की फोटोग्राफी भी की गई है।(सी.डी. एवं एलबम संलग्न)

माननीय उच्च न्यायालय ने प्रत्याहरण आदेश में दर्शाई गई खामियों के संबंध में निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यह निरीक्षण किया गया है।

निरीक्षण दल द्वारा दोष/कमियों के संबंध में निम्न टिप्पणियां दी गई

(1) यह सच है कि संस्था के पास पंजीकृत भूमि दस्तावेज नहीं है और वह श्री उमा एजुकेशन ट्रस्ट की भूमि पर कब्जा कर रही है।

(2) यह सच है कि संस्था ने श्री उमा एजुकेशन ट्रस्ट की भवना योजना प्रस्तुत की है। इस भवन योजना को सरपंच वाजडी (विरदा) द्वारा अनुमोदित किया गया था। उमा एजुकेशन ट्रस्ट को अभी भी राजकोट शहरी विकास प्राधिकरण की मंजूरी नहीं मिली है।

(3)यह सत्य है कि संस्थान द्वारा प्रस्तुत भूमि उपयोग प्रमाण पत्र उमा एजुकेशन ट्रस्ट की भूमि के बारे में है।

(4)यह सत्य है कि संस्था के पास अपनी भूमि एवं भवन नहीं है। संस्था उमा एजुकेशन ट्रस्ट के परिसर में चल रही है।

(5)शिक्षण स्टाफ प्रोफाइल को प्रभारी विभाग अधिकारी, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा 18.02.2019 को, 11.05.2011 और 13.05.2011 को अनुमोदित किया गया है। चार व्याख्याताओं के पास एमएड की योग्यता नहीं है। एक आम बात यह है कि सभी सूची को विश्वविद्यालय के प्रभारी विभाग अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(6)उमा बी़.एड.कॉलेज और जलाराम बी.एड. कॉलेज एक ही परिसर में संचालित हो रहे हैं ।

(7)यह सच है कि संस्था ने उमा एजुकेशन ट्रस्ट की भवन योजना प्रस्तुत की है। इस योजना को सरपंच, वाजडी (विरदा) द्वारा अनुमोदित किया गया था। राजकोट शहरी विकास प्राधिकरण की मंजूरी अभी भी उमा एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा प्राप्त नहीं की गई है।

(8)मोरवी सार्वजनिक केलावनी मंडल और जलाराम एजुकेशन ट्रस्ट को सक्षम प्राधिकारी की उचित अनुमति के बिना और डब्ल्यूआरसी की मंजूरी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट (2011) 13 (ए. डी. डी. एल.) एस सी आर।

के बिना उमा एजुकेशन ट्रस्ट के साथ एकतरफा विलय कर दिया गया है। मामला अभी भी पत्राचार में है।

(9)संस्था/मोरवी सर्वाजनिक केलावनी मंडल के पास पर्याप्त भूमि या सरकारी भूमि लंबी अवधि के पटटे के आधार पर या स्वामित्व पर अर्जित भूमि नहीं है।

8.उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष रखे गए निरीक्षण रिपोर्ट सहित प्रासंगिक अभिलेखों पर विचार करने के बाद, चैयरमेन भारतीय एजुकेशन सोसाइटी और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य (2011) 4 एससीसी 527, एन.एम. नागेश्वरम्मा बनाम् आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (1986) पूरक एससीसी 166, दत्तात्रेय अध्यापक विद्यालय के छात्र बनाम् महाराष्ट्र राज्य और अन्य वर्ष 1991 की एसएलपी (सी) संख्या 2067 जो 19.2.1991 को निर्णीत की गई, आंध्र केसरी एजुकेशन सोसाइटी बनाम् स्कूल शिक्षा निदेशक (1989) 1 एससीसी 392 और कुछ अन्य के मामलें में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता उसकी ओर से दायर रिट कार्यवाही में किसी भी राहत का हकदार नहीं था और तदअनुसार रिट

याचिका खारिज कर दी। इसलिए वर्तमान अपीलें उक्त निर्णय और आदेश का विरोध करती है।

9. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

10. मशरूम विकास की तरह असुसज्जित, अल्प कर्मचारी और असंगठित शिक्षण संस्थानों को महाराष्ट्र राज्य बनाम् विकास साहेबराव रांउडेल और अन्य(1992) 4 एससीसी 435 में इस न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया। इस न्यायालय ने पाया कि कुछ राज्यों में शिक्षा का क्षेत्र कम से कम पूंजी परिव्यय के साथ एक उपजाऊ, बारहमासी और लाभदायक व्यवसाय बन गया है और समाज और व्यक्ति वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन किए बिना ऐसे संस्थानों की स्थापना कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पिछले दो दशकों में इस न्यायालय द्वारा बार बार ऐसे संस्थानों की स्थापना की निंदा करने की घोषणा के बावजूद भी वैधानिक अधिकारियों

की मिलीभगत से पूरे देश में मशरूम की तरह कॉलेजों की बढती संख्या जारी है, जो एनसीटीई अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए विनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करके इस प्रक्रिया की जांच करने में विफल रहते हैं।

11. वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां अपीलकर्ता द्वारा स्थापित संस्थान का एक से अधिक बार निरीक्षण किया गया है और कई कमियां है जो भविष्य के शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने की इसकी क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के तहत निर्धारित अन्य आवश्यकताओं के अलावा, स्थान और कर्मचारियों की अपर्याप्तता एक ऐसी चीज है जो किसी भी संस्थान को मान्यता प्राप्त करने से अयोग्य ठहराती है। ऐसी कमियों पर हमारे समक्ष कभी विवाद नहीं हुआ है और न ही समय-समय पर निरीक्षण टीमों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आलोक में इस पर विवाद किया जा सकता है, जिसमें नवीनतम निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट भी शामिल है जो उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया गया था। यह समझना कठिन है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद संस्थान ने नियमों की आवश्यकता के अनुपालन और कमियों को पूरी तरह से दूर करने की रिपोर्ट कैसे दी होगी, जबकि संस्थान के पास न तो उसके नाम पर जमीन थी और न ही वह भवन जिसमें उसने निर्माण किया था और जिसमें वह प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर सकता है। यह तथ्य कि संस्थान एक ऐसी इमारत में चलाया जा रहा था जिसे दो अन्य कॉलेजों द्वारा साझा किया गया था, अपने आप में इसके पक्ष में दी गई मान्यता को वापस लेने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त था। निरीक्षण दल द्वारा

यह भी नोट किया गया कि अपीलकर्ता द्वारा चार व्याख्याताओं को नियुक्त किया गया था जिनके पास अपेक्षित एम.एड. योग्यता नहीं थी। यह कहना पर्याप्त होगा कि संस्थान में आवश्यक ढांचागत सुविधाओं की कमी थी जो स्पष्ट रूप से इसे पहले दी गई मान्यता को वापस लेने को उचित ठहराती थी।

12. उपरोक्त स्थिति का सामना करते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शैक्षणिक सत्र 2011-2012 के लिए कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों को पूर्वाग्रह से बचने और उनके करियर को बचाने के लिए परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इसी तरह की एक दलील को इस

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट (2011) 13 (ए. डी. डी. एल.) एस सी आर।

न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए खारिज कर दिया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने अनुचित सहानुभूति पर विचार करते हुए गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश पाने वाले छात्रों को ऐसी राहत देने का समर्थन नहीं किया हैा उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि छात्रों को अन्य मान्यता प्राप्त कॉलेजों में स्थानांतरित कर दिया गया था और किसी भी स्थिति में शैक्षणिक सत्र 2011-2012 के लिए प्रवेशित छात्रों को ऐसे संस्थान में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसके पास

एनसीटीई के तहत निर्धारित आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं था। विनियम और मानदंड अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं था कि छात्रों को अन्य संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया गया था। विद्वान वकील के अनुसार किसी भी स्थिति में मान्यता वापस लेने का आदेश शैक्षणिक सत्र 2011-2012 के लिए संस्थान में प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रभावित नहीं कर सकता हैं, क्योंकि मान्यता वापस लेने का आदेश केवल संभावित प्रकृति का हो सकता है और अगस्त 2011 में पारित किया गया था जो कि केवल शैक्षणिक सत्र 2012-2013 के लिए प्रासंगिक है। हम ऐसा नहीं सोचते है, सबसे पहले, क्योंकि संस्थान की मान्यता 20 जुलाई, 2011 को वापस ले ली गई थी, जिसका मतलब था कि शैक्षणिक सत्र 2010-2011 के लिए प्रवेश पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडा। यह निश्चित रूप से शैक्षणिक सत्र 2011-2012 के लिए किए गए प्रवेश के लिए प्रभावी था, जो 1 अगस्त 2011 से शुरू हुआ था। तथ्य यह है कि 24 अगस्त, 2011 को वापसी के उक्त आदेश में संशोधन किया गया था, इससे पहले का आदेश दिनांक 20 जुलाई, 2011 को समाप्त नहीं हुआ। हमारी राय में संशोधित आदेश वापस संशोधित होगा और 20 जुलाई, 2011 से प्रभावी होगा जब सबसे पहले मान्यता वापस ली गई। ऐसी स्थिति में शैक्षणिक सत्र 2011-2012 के लिए किए गए प्रवेश कानून के तहत संरक्षित नहीं थे।

13.दूसरे, क्योंकि इस न्यायालय ने समय-समय पर दिए गए निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला में छात्रों को केवल सहानुभूतिपूर्ण विचारों पर गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों में बने रहने की अनुमति देने को अस्वीकार कर दिया है। एन.एम् नागेश्वरम्मा (सुप्रा) में

इस न्यायालय ने गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश पाने वाले छात्रों को अनुमति देने की प्रार्थना पर विचार करते हुए कहा:

'3.XXXX

हम इन अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। इन संस्थानों की स्थापना की गई और सरकार द्वारा जारी प्रेस नोटों की एक श्रृंखला के बावजूद छात्रों को इन संस्थानों में प्रवेश दिया गया। यदि न्यायालय के आदेश से हम सरकार को उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश देते हैं तो हम व्यावहारिक रूप से अनधिकृत संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित और अनदेखा करेंगे। यह उचित नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को ऐसे उद्देश्य के लिए बर्बाद कर दिया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान प्रभावशाली उम्र के बच्चों को पढाने के लिए हैं और हम उन मासूम और लापरवाह बच्चों, शिक्षकों को नहीं छोड. सकते जिन्हें उचित और पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला है। यह सच है कि उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने की

आवश्यकता होगी लेकिन यह पर्याप्त नहीं हो सकता है। एक शिक्षक को विधिवत रूप से लान्च करने से पहले एक उचित रूप से संगठित और सुसज्जित प्रशिक्षण संस्थान में एक निश्चित न्यूनतम अवधि के लिए प्रशिक्षण संभवत: आवश्यक है। हमें रिट याचिकाओं को जुर्माने के साथ खारिज करने में कोई झिझक नहीं हैं।´

14.इसी आशय का निर्णय भगवान बुद्ध प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की प्रबंध समिति और अन्य बनाम् बिहार राज्य और अन्य में इस न्यायालय का है (1990) पूरक एससीसी 722 जहां इस न्यायालय ने देखा

'2.प्रार्थना के अनुसार ऐसी कोई भी अनुमति देना संभव नहीं है क्योंकि ऐसी अनुमति देना स्पष्ट रूप से शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होगा (25 नवंबर 1987 को तय किए गए एस.एल.पी. संख्या 12014 वर्ष 1987 के निर्णय में देखे और ए.पी. क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम् ए.पी. सरकार).....'

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट (2011) 13 (ए. डी. डी. एल.) एस सी आर।

15. तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम् सेंट जोसेफ शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और अन्य (1991) 3 एससीसी 87, में इस कोर्ट ने एक बार फिर मानवीय आधार पर गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को राहत देने में गलती पाई। इस न्यायालय ने कहा:

‘6.अनधिक़त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रों को प्रवेश देने और फिर छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की अनुमति मांगने की प्रथा को इस न्यायालय ने नापसंदगी से देखा है.....। ए.पी. क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम् ए.पी. सरकार (1986) 2 एससीसी 667, में संस्थान और छात्रों की ओर से संबद्धता न दिए जाने के बावजूद उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए किया गया एक समान अनुरोध, इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि प्रकृति की किसी भी दिशा की मांग की गई थी संस्थान से संबद्ध या मान्यता प्राप्त हुए बिना छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देना अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होगा। छात्रों को कानून की अवज्ञा करने का निर्देश देने में अदालत एक पक्ष नहीं हो सकती क्योंकि यह कानून के शासन के लिए विनाशकारी होगा। पूर्ण पीठ ने इन निर्णयों और टिप्पणियों को नोट किया और फिर भी मानवीय आधार पर छात्रों को राहत दी। अदालतें कानून के विपरीत मानवीय आधार पर किसी पक्ष को राहत नहीं दे सकती हैं। चूंकि गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्र कानूनी तौर पर सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित होने के हकदार नहीं थे, इसलिए उच्च न्यायालय ने ऐसे छात्रों को सार्वजनिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देकर कानून का उल्लंघन किया। पूर्ण पीठ द्वारा जारी निर्देश कानून के शासन को नष्ट करने वाले हैं। चूंकि

डिवीजन बैंच ने पूर्ण बैंच के फैसले के बाद आक्षेपित आदेश जारी किए, इसलिए आक्षेपित आदेश कानून में धारणीय नहीं है।'

(अवधारित किया गया)

16. महाराष्ट्र राज्य बनाम् विकास साहेबराव रांउडेल और अन्य (सुप्रा) और अध्यक्ष, भारतीय एजुकेशन सोसाइटी बनाम् हिमाचल प्रदेश और अन्य का संदर्भ लिया जा सकता है। बाद वाले मामले में इस न्यायालय ने कहा:

'15.गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा छात्रों को प्रवेश देने और फिर छात्रों को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति मांगने की प्रथा को इस न्यायालय द्वारा बार-बार अस्वीकार किया गया है। (देखे एन.एम. नागेश्वरम्मा बनाम् आंध्र प्रदेश राज्य, ए.पी. क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम् ए.पी. सरकार और अन्य और महाराष्ट्र राज्य बनाम् विकास साहेबराव रांउडेल और अन्य)। इसलिए, हमें उच्च न्यायालय के उस फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है, जिसमें 1999 में प्रवेशित छात्रों की प्रार्थना को खारिज करते हुए बोर्ड को उन्हें उपस्थित होने की अनुमति देने का निर्देश देकर उनके प्रवेश को नियमित करने की मांग की गई थी। इसके द्वारा आयोजित जेबीटी परीक्षा के लिए। इसलिए 1999 के

दाखिले के संबंध में सोसाइटी/संस्थान और छात्रों द्वारा दायर की गई दो अपीलें (सीए नं. 1228 और 1229/2011) खारिज किए जाने योग्य हैं।'

17. उपर उल्लिखित मामलों और हमारे पास मौजूद मामले के बीच कोई असंगत टिप्पणी करने के लिए कोई विशिष्ट विशेषता नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा स्थापित संस्थान एनसीटीई अधिनियम और विनियमों के तहत आवश्यक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित नहीं है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की स्थिति में नहीं है, भले ही सत्र 2011-2012 के लिए प्रवेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निर्देशों के अनुसार किए गए हों। इसलिए हमें छात्रों को गैर-मान्यता प्राप्त क्षेत्र में बने रहने की अनुमति देने की प्रार्थना को अस्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और अपीलकर्ता की संस्था को निर्देश दे कि उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश प्रतिवादी-विश्वविद्यालय को ऐसे छात्रों के प्रति किसी भी पूर्वाग्रह को रोकने के लिए चयन और काउंसलिंग की विश्वविद्यालय प्रक्रिया के माध्यम से अन्य मान्यता प्राप्त कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को पुन: आवंटित करने की व्यवहार्यता की जांच करने से नहीं रोकेगा।

अगले सत्र के लिए इस तरह का पुन: आवंटन उन छात्रों के लिए स्थिति का पूरी तरह से समाधान नहीं कर सकता है, जिन्हें नए सिरे से

पाठ्यक्रम शुरू करना पड सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि यदि ऐसे प्रवेश/पुर्नआवंटन वास्तव में संभव है, तो छात्र किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में अपनी पढाई पूरी कर सकते हैं। ऐसे कॉलेज में अपना समय बर्बाद करने के बजाय जिसे एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि, हम इस पहलू को पूरी तरह से विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए उचित स्तर पर विचार करने के लिए छोड देते हैं और इस तरह के समायोजन के लिए सीटों की उपलब्धता के साथ-साथ उन नियमों और शर्तों पर भी निर्भर करते हैं जिन पर ऐसा किया जा सकता है। यह आदेश प्रभावित छात्रों को अपीलकर्ता कॉलेज के खिलाफ ऐसी राहत मांगने से नहीं रोकेगा जो कानूनी रूप से स्वीकार्य हो, जिसमें उनसे वसूल की गई फीस की वापसी के रूप में राहत भी शामिल हो।

18. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, ये अपीलें विफल हो जाती हैं और 20,000/- रूपये की कॉस्ट के साथ खारिज की जाती हैं।

अपीलें खारिज।

भूपेन्द्र कुमार मीणा

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी भूपेंद्र कुमार मीना **(आर.जे.एस.)** द्वारा किया गया है।

अस्वीकारण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अग्रेंजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।